रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 865] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940
No. 865] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1173(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है वह उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्तियों या सुझावों को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी- को ई-मेल पते अर्थात् mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन लाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
1	2	3	4
"114	ऑटोमोबाइल स्टैंड-अलोन सर्विस स्टेशन या बस डिपो और कर्मशालाओं सहित पेट्रोल पंप से संबद्ध सर्विस स्टेशन	**बहिस्राव मानक** (सांद्रता निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी, (pH के लिए सांद्रता को छोड़कर mg/l में)	
		अंतर्देशीय सतही जल/सिंचाई के लिए भूमि/सार्वजनिक सीवर	
		pH	6.5 से 8.5
		कुल निलंबित ठोस (टीएसएस)	50
		केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी)	150
		तेल और ग्रीस	10

टिप्पण : सर्विस स्टेशन, बस डिपो और धातु पूर्व-शोधन सुविधाओं से युक्त कर्मशालाओं के लिए, घुले हुए फॉस्फेट (P के रूप में) की 5 mg/l (mg/l) सीमा और जस्ते की 5 mg/l की सीमा भी लागू होगी।

[फा. सं. क्यू-15017/6/2010-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 1095 (अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2018

G.S.R. 1173(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 113 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameters	Standard
1	2	3	4
"114	Automobile Stand-alone Service Station or Service Station attached to a Petrol Pump including Bus Depots or Workshop	**Effluent Standards** (Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH)	
		Inland Surface Water / Land for Irrigation / Public Sewer	
		pH	6.5 to 8.5
		Total Suspended Solids (TSS)	50
		Chemical Oxygen Demand (COD)	150
		Oil & Grease	10

Note: For Service stations, Bus Depots and Workshops with metal pre-treatment facilities, limit of 5 mg/l of dissolved phosphates (as P) (mg/l) and 5 mg/l of Zinc shall also apply.

[F.No. Q-15017/6/2010-CPW]

DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 1095(E), dated the 9th November, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.14 11:47:45 +05'30'